कृषि वानिकी योजना

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना।

हरियाली मिशन

कार्यान्वयन अनुदेश -2013-2014

योजना का नाम :– कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) योजना।

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

"हरियाली मिशन"

कार्यान्वयन अनुदेश -2013-2014

1. **योजना का नाम :– कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) योजना।**

2. योजना क्रमांक :– 02

3. उद्देश्य :–

- किसानों के खेतों में पॉप्लर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।
- ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- राज्य के किसानों की आर्थिक सुदृढ़ीकरण।
- हरियाली बढ़ाना एवं पर्यावरण शुद्धिकरण।
- बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 15% वृक्ष आवरण के अंतर्गत लाना।
- वनोत्पाद आधारित उद्योगों को कच्चे माल उपलब्ध कराकर औद्योगिकरण को बढ़ावा देना।

4. शीर्ष/बजट शीर्ष :– व्यय मुख्य शीर्ष–2406 वानिकी तथा वन्यप्राणी, उपमुख्य शीर्ष–01–वानिकी, लघु शीर्ष–800 अन्य व्यय मांग संख्या 19 उप शीर्ष–0105–पथ तट फार्म विपत्र कोड– पी0 2406018000105 विषय शीर्ष–020–मजदूरी, 2701–लघुकार्य एवं मुख्य शीर्ष–2406 वानिकी तथा वन्यप्राणी, उपमुख्य शीर्ष–01–वानिकी लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना मांग संख्या–19 उप शीर्ष–0103–पथ तट फार्म, विपत्र कोड– पी0–2406017890103, विषय शीर्ष–0201–मजदूरी ।

5. रोड मैप के अनुसार भौतिक लक्ष्य :– कृषि वानिकी योजना के तहत आगामी पाँच वर्षों में कुल 360.9 लाख पॉप्लर पौधों का रोपण किया जायेगा।

(* आंकड़ा लाख में)

क्र0 सं0	वर्ष/लक्ष्य	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	कुल
1	पॉप्लर ई0 टी0 पी0 उत्पादन	6.2	33.5	103	135.101	151.6	**429.401**
2	दूसरे राज्यों से ई0 टी0 पी0 क्रय/आई0 सी0 एफ0 आर0 ई0 से प्राप्ति	8	25	12	5	0	**50**
3	कुल ई0 टी0 पी0	14.2	58.5	115	140.101	151.6	**479.401**
4	रोपण हेतु ई0 टी0 पी0 की आपूर्त्ति	4.9	30	77	98	151	**360.9**

6. आवंटन/लक्ष्य :– कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) योजना का लक्ष्य एवं आवंटन प्रपत्र संख्या–02/06 में प्रमंडलवार संलग्न हैं।

7. पॉप्लर ई0 टी0 पी0 लगाने हेतु किसानों के चयन की प्रक्रिया :–

7.1 आवेदन के साथ संलग्न कागजात :– वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है, एवं इसके साथ निम्न कागजात संलग्न करना आवश्यक होगा :–

- भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र/ अद्यतन लगान रसीद की छायाप्रति/राजस्व रसीद, शपथ पत्र–घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र।

- बैंक पासबुक की अद्यतन छायाप्रति।

7.2 पॉप्लर ई0 टी0 पी0 हेतु कृषकों का चयन :–

- समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर पॉप्लर ई0 टी0 पी0 रोपण के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जायेगा। पॉप्लर ई0 टी0 पी0 रोपण के लिए लाभुक कृषकों की अपनी निजी जमीन/लीज पर जमीन होनी चाहिए।
- लाभार्थी कृषकों का चयन, वन प्रमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जायेगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को नियमानुसार प्राथमिकता दी जायेगी।
- वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा लाभार्थी सूची मिशन निदेशक, हरियाली मिशन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7.3 आवेदन समर्पित कहाँ करें :–

- आवेदन तथा उससे संबंधित कागजात उस जिले के वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किये जायेंगे, जिस जिले में कृषक की जमीन हों।

7.4 चयन समिति :–

- जिला स्तर पर वन प्रमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति कृषकों का चयन करेगी। इसके सदस्य संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी तथा जिला वागवानी पदाधिकारी होंगे।

7.5 चयन की प्रक्रिया :–

- चयन समिति कंडिका–7.1 में उल्लेखित कागजातों की जाँच करेंगे, एवं लाभुकों का चयन करेगी तथा सूची बनायेंगे (प्रपत्र–1)।
- उन कृषक बंधुओं को वरीयता दी जायेगी, जो दो हेक्टेयर से अधिक भूमि में ब्लॉक वृक्षारोपण के इच्छुक होंगे। बड़े क्षेत्रों में पॉप्लर ई0 टी0 पी0 रोपण हेतु लाभुकों को वरीयता दी जायेगी।
- एक से अधिक कृषक बंधु मिलकर भी इस योजना में भाग ले सकेंगे।
- अगर आवंटित लक्ष्य से अधिक व्यक्तियों का आवेदन पॉप्लर ई0 टी0 पी0 स्थापना के लिए प्राप्त होता है तो **पहले आओ पहले पाओ** के आधार पर चयन किया जायेगा।
- रैखिक वृक्षा रोपण के लिए अधिक वृक्षों को लगाने वाले कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

  पॉप्लर ई0 टी0 पी0 रोपण के लिए समिति द्वारा कृषकों के चयन के उपरांत वन विभाग द्वारा पॉप्लर ई0 टी0 पी0 रोपण के लिए प्रशिक्षण चयनित लाभुकों के लिए आयोजित की जायेगी। जिसमें उन्हें भाग लेना अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

8. प्रशिक्षण :–

- राज्य स्तर पर हरियाली मिशन द्वारा एक दिवसीय ओरियेन्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे, जिसमें मुख्य वन संरक्षक पदाधिकारी, वन संरक्षक पदाधिकारी तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी शामिल होंगे। इसमें कृषि वानिकी, पॉप्लर ई0 टी0 पी0 से संबंधित तकनीकी एवं प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।
- वन प्रमंडल स्तर पर मास्टर ट्रेनर को हरियाली मिशन मुख्यालय में कृषि वानिकी, पॉप्लर ई0 टी0 पी0 से संबंधित तकनीकी एवं प्रशासनिक जानकारी दी जायेगी।
- जिला स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा किसानों को एक दिवसीय प्रशिक्षण पॉप्लर ई0 टी0 पी0 रोपण, रख–रखाव, उपचार, पौधों का संपोषण संबंधित जानकारी दी जायेगी।

- वनपाल एवं वनरक्षी को विस्तृत रूप से प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसमें पॉप्लर ई0 टी0 पी0 रोपण, रख–रखाव, तैयारी एवं उपचार करना सम्मिलित होगा।
- अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- पॉप्लर रोपण हेतु किसानों का चयन एवं प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। सभी चयनित किसानों का प्रशिक्षण आयोजित होगा, जो रोपण विधि, मॉडल एवं कृषि के साथ सामंजस्य करने के तरीकों से संबंधित होगा।

8.1 **कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) रोपण कार्य विवरण :–**

- कृषक बंधुओं के द्वारा पॉप्लर ई0 टी0 पी0 रोपण संबंधी सभी कार्य जैसे– गडढ़ा खुदाई, सुरक्षा घेरा बनाना, पौधा रोपण, कोरनी–निकौनी एवं सिंचाई आदि कार्य संपादित किया जायेगा।

9. स्रोत/उत्पादन :–

9.1 किसान मुख्यमंत्री निजी पौधशालाओं से गुणवत्ता युक्त पौधों (ई0 टी0 पी0) की प्राप्ति

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला में लगाये हुए पॉप्लर का क्रय किया जायेगा। तदोपरांत इसकी मांग तथा उपलब्धता के अनुसार इसके वितरण का निर्णय वन प्रमंडल पदाधिकारी/मिशन निदेशक, हरियाली मिशन लेंगे।

दूसरी स्थिति में हरियाली मिशन मुख्यालय से पॉप्लर ई0 टी0 पी0 वन प्रमंडल पदाधिकारी को मुहैया कराया जायेगा। जिसका वितरण आवश्यकतानुसार लक्षित जिलों में किया जायेगा। इसके लिए हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश आदि राज्यों से पॉप्लर ई0 टी0 पी0 का क्रय किया जायेगा।

पॉप्लर रोपण हेतु न्यूनतम दस फीट ऊँचाई एवं 2.5 ईंच गोलाई के पौधों का चयन अनिवार्य है। पौधे जड़ सहित (4–5 ईंच जड़ का भाग) एवं उपर्युक्त मापदंड के अनुसार लिया जायेगा।

9.2 पॉप्लर पौधों का उपचार एवं मुफ्त वितरण :–

पॉप्लर के पौधों को पौधाशाला से जड़ सहित उखाड़कर बीस बीस के बंडल में बांधकर, बंडल को अतिशीघ्र पानी में पूरी तरह अड़तालीस घंटे तक भिगोना जरूरी है। 24 घंटे में एक बार पानी को बदल देना चाहिए। पौधा वितरण के पूर्व इसके जड़ वाले भाग को एक प्रतिशत व्यभिष्टिन (फफूंदनाशक) के घोल में डुबाकर रोपण हेतु प्रयोग में लाया जायेगा।

10. **कृषकों को देय लाभ :–** पॉप्लर ई0 टी0 पी0 रोपण हेतु कृषकों को देय राशि का भुगतान निम्नवत 03 किस्तों में करने का प्रावधान किया जायेगा।

- कृषक बंधुओं को 50 प्रतिशत से अधिक उत्तरजीविता एवं गुणवत्ता युक्त निर्धारित मापदंड अनुसार पौधे होने पर ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा।
- कृषक बंधुओं के द्वारा उनकी भूमि पर किये गये वृक्षारोपण के उत्तरजीविता प्रतिशत के दावे के आधार पर प्रथम वर्ष में प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा। प्रथम वर्ष के अंत में देय राशि रुपये 15/– प्रति पौधा होगी।
- पौधा रोपण के उपरांत दो वर्ष के पौधे होने पर रुपये 10/– प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा।
- पौधा रोपण के उपरांत तीन वर्ष के पौधे होने पर रुपये 10/–प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा।
- प्रोत्साहन राशि का भुगतान शिविर लगाकर उनके खाते के माध्यम से किया जायेगा।

यदि विभाग द्वारा उत्तरजीविता प्रतिशत की गणना/जाँच में कृषकों द्वारा प्रथम वर्ष में किये गये दावे से कम उत्तरजीविता प्रतिशत पाया गया तो द्वितीय वर्ष के प्रोत्साहन राशि से तद्नुसार कटौती/वसूली की जायेगी।

नोट :– यदि प्रथम से द्वितीय किस्त के रूप में द्वितीय पक्ष को अतिरेक राशि का भुगतान हो गया होगा तो अंतिम किस्त की राशि भुगतान करते समय पूर्व में भुगतेय ऐसी राशि का समायोजन करने के पश्चात् ही अंतिम भुगतान किया जायेगा।

11. वन विभाग के पदाधिकारियों/अधिकारियों/कर्मियों का कर्त्तव्य एवं दायित्व :– हरियाली मिशन मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल, वनरंक्षी अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत इस योजना के लिए पूर्णरूपेण जिम्मेदार होंगे। संबंधित पदाधिकारी इस योजना का प्लान एवं लक्ष्य के आधार पर ई0 टी0 पी0 प्राप्त करना, लाभुकों का चयन करना, सामग्री, मजदूर, कृषकों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय किस्त का भुगतान समय–सीमा के अंदर, टाईम लाईन के अनुरूप करवाना सुनिश्चित करेंगे।

11.1 वन संरक्षक :–

- कृषकों का चयन समय पर कराने हेतु चयन समिति की बैठक करवाना।
- पॉप्लर ई0 टी0 पी0 को समय रहते वन प्रमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध करवाना।
- पॉप्लर ई0 टी0 पी0 रोपन के बाद औचक निरीक्षण करना।
- विवाद को सुलझाना/मुख्यालय को सूचित करना।
- हरियाली मिशन मुख्यालय द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन करवाना एवं उसकी समय–समय पर कार्य प्रगति का विवरण मुख्यालय को उपलब्ध करवाना।

11.2 वन प्रमंडल पदाधिकारी :–

- वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा पॉप्लर ई0 टी0 पी0 का किसानों से क्रय कर सुरक्षित वन क्षेत्र कार्यालय तक पहुंचवाना।
- पॉप्लर ई0 टी0 पी0 के रख–रखाव तथा उसके उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- आवेदन–फार्म का जमा करवाना एवं किसानों को चयन करने हेतु वन संरक्षक को सूची उपलब्ध कराना।
- प्रशिक्षण के लिए तिथि एवं परिसर का इंतजाम करवाना।
- प्रोत्साहन राशि का चेक वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को उपलब्ध करवाना।
- वितरित चेक और अवितरित चेक का विवरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना।
- रेडम चेकिंग करना।

11.3 वनों के क्षेत्र पदाधिकारी :–

- संलग्न कागजात की जाँच करना।
- समय पर पॉप्लर ई0 टी0 पी0 किसानों से लेना एवं किसानों को वितरित करना।
- प्रोत्साहन राशि लाभुकों/किसानों को वितरण करना।
- वितरित चेक और अवितरित चेक का विवरण वन प्रमंडल पदाधिकारी को देना।
- किसानों का जिला स्तर पर प्रशिक्षण करवाना।
- किसी भी प्रकार का विवाद होने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचित करना।

11.4 वनपाल/वनरक्षी :–

- जीवित पौधों की गणना कर वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को सूचित करना।
- पॉप्लर ई0 टी0 पी0 की सुरक्षा में सहायता करवाना।
- वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के साथ पॉप्लर ई0 टी0 पी0 का वितरण करना।
- जमीन के खतिहान/खेसरा/रसीद की जाँच में मदद करना।
- किसी भी प्रकार के पॉप्लर ई0 टी0 पी0 में दिक्कत आने पर क्षेत्र पदाधिकारी को सूचित करना।

12. लक्षित जिला :– बिहार के सभी जिलें।

13. **मैप :–**

14. **फ्लो चार्ट :–**

वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के द्वारा आवेदन की प्राप्ति

⇩

लाभार्थी कृषकों की सूची तैयार करना।

⇩

सूची के अनुसार जमीन का भौतिक सत्यापन।

⇩

अंतिम सूची की तैयारी वन प्रमंडल पदाधिकारी को समर्पित करना।
समिति द्वारा लाभुकों का चयन करना।

⇩

वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा सूची के आधार पर स्वीकृत्यादेश निर्गत करना।

⇩

लाभुकों द्वारा गडढ़ों की खुदाई करना।

⇩

पॉप्लर ई0 टी0 पी0 की आपूर्त्ति

⇩

लगाये गये पॉप्लर ई0 टी0 पी0 का सत्यापन।

⇩

रैंडम चेकिंग।

⇩

सहायतानुदान राशि का चेक वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को उपलब्ध करना।

⇩

वन प्रमंडल परिसर में शिविर लगाकर चेकों/ड्राफ्टों का वितरण।

15. **प्री ऑडिट चेक लिस्ट :–**

- वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा लाभुकों की सत्यापित सूची तैयार करना।
- स्वीकृत्यादेश की प्रति।
- कार्य निष्पादित क्षेत्र का फोटो शपथ–पत्र।
- व्यय विवरणी।
- स्वीकृत्यादेश में स्वीकृत रकवे के अनुरूप सत्यापन एल0 पी0 सी0/लीज कागजात/ किराया रसीद।
- राशि का भुगतान की प्रति।

16. **अन्य :–**

- राज्य स्तर पर विभिन्न वन प्रमंडलों के अनुश्रवण का दायित्व निम्नलिखित पदाधिकारियों को निम्न प्रकार है :–

क्र0	**पदाधिकारियों का नाम**	**पदनाम**
1.	श्री दीपक कुमार	परियोजना प्रबंधन पदाधिकारी
2.	श्री चाँद रहमानी	प्रोग्राम मैनेजर, वित्तीय
3.	श्री नवल किशोर राजू	प्रोग्राम मैनेजर, ग्रामीण
4.	श्री अरविन्द कुमार	प्रोग्राम मैनेजर, वानिकी
5.	श्री निखिल रंजन कुमार	सांख्यिकी पदाधिकारी

- ये पदाधिकारी आवश्यकतानुसार वन प्रमंडल कार्यालय से दूरभाष पर संपर्क करेंगे एवं प्रगति की जानकारी हरियाली मिशन निदेशक को देंगे। इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी, हरियाली मिशन निदेशक–सह–मुख्य वन संरक्षक, हरियाली मिशन बिहार होंगे।

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
"हरियाली मिशन"
प्रपत्र–02/01

फोटो

कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) योजना
आवेदन

कार्यालय उपयोग हेतु
किसान विशिष्ट पहचान संख्या –
HAR/ --------------/---------------/----------------/--------------------/-----------------/
योजना जिला प्रखंड क्र0 सं0 वर्ष

आवेदक का नाम

पिता/पति का नाम

पता

वन प्रमंडल का नाम — वन क्षेत्र का नाम

प्रखंड का नाम — जिला का नाम

पिन नं0 — मोबाईल नं0

लिंग–पुरूष/महिला

कोटि– अनुसूचित जनजाति ☐ अनुसूचित जाति ☐ पिछड़ा वर्ग महिला ☐ अत्यंत पिछड़ा वर्ग ☐
पिछड़ा वर्ग ☐ विकलांग ☐ अल्पसंख्यक ☐ सामान्य ☐

धर्म– हिन्दू ☐ मुस्लिम ☐ सिख ☐ ईसाई ☐
अन्य ☐

पौधशाला स्थल की विवरणी :–

क्र0	जमीन मालिक का नाम/जमीन का पता	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा (एकड़ में)

सिंचाई की सुविधा – राजकीय नहर ☐ नलकूप ☐ निजी पंपिंग सेट ☐ अन्य ☐

बैंक में पूंजी की स्थिति

(प्रमाण के रूप में पासबुक की अद्यतन छायाप्रति संलग्न करें)

घोषणा

मैं एतद् घोषणा करता /करती हूँ कि इस आवेदन में ऊपर दी गयी सूचनाएं सत्य एवं सही हैं। पौधे आवंटित होने पर मैं पूरी मेहनत एवं लगन से पौधारोपण करूगाँ /करूँगी एवं मिशन/वन विभाग के सभी नियमों/निर्देशों का अनुपालन करूगाँ /करूँगी। ऊपर में दी गयी सभी जानकारी/कालान्तर में उक्त सूचना गलत सिद्ध होती है तो इसके लिए मैं जिम्मेवार होऊगाँ/होऊँगी और मैं मानता/मानती हूँ कि मेरे विरूद्ध वैधानिक/दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन एवं आवंटन को रद्द किया जा सकेगा। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विभाग के सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हूँ।

स्थान :– ....

दिनांक :– .... **आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम**

नोट :– आवेदन–पत्र के साथ सभी प्रमाण–पत्रों/कागजातों की केवल छायाप्रति संलग्न करें :–
(1) एल0 पी0 सी0/प्रस्तावित जमीन का अद्यतन रसीद/ लीज पर लिया गया जमीन की छायाप्रति/राजस्व रसीद/शपथ पत्र–प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र।
(2) पासबुक की अद्यतन छायाप्रति।

<u>प्राप्ति रसीद</u>

श्रीमान्/श्रीमती .... पिता/पति का नाम ....

वन प्रमंडल का नाम .... वन क्षेत्र का नाम .... प्रखंड का नाम ....

जिला का नाम .... पिन कोड– ....। कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) स्थापित करने हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त किया गया, जिसकी आवेदन पत्र क्रमांक .... है।

स्थान :– ....

दिनांक :– ....

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर
पूरा नाम एवं पदनाम

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

"हरियाली मिशन"

प्रपत्र-02/02 (2013-14)

कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) योजना

वन प्रमंडल पदाधिकारी, कार्यालय

प्रमंडल का नाम :— .... **जिला का नाम :— ....**

क्र	प्रखंड का नाम	वन क्षेत्र	पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम (टोला)	किसान का नाम एवं पिता का नाम	खेत का रकवा (एकड़ में)	खाता	खेसरा	ई0 टी0 पी0 की संख्या	मोबाईल नं0	जाति	धर्म
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1												
2												
3												
4												
5												

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

"हरियाली मिशन"

आदेश

कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) योजना

प्रपत्र-02/03 (2013-14)

प्रेषक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
वन प्रमंडल ....

सेवा में,

....

....

विषय :– **कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) ससमय रोपण कार्य न करने एवं शर्त्तो का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश रद्द करने के संबंध में।**

दिनांक :–

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपको पत्रांक–.................................. दिनांक – .... के द्वारा सूचित किया गया था कि आप ससमय वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अपना आवंटित पॉप्लर ई0 टी0 पी0 रोपण हेतु प्राप्त कर लें। पॉप्लर ई0 टी0 पी0 ससमय प्राप्त न करने और शर्त्तो का अनुपालन नहीं करने के कारण इस कार्यालय द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश रद्द किया जाता है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी
.... वन प्रमंडल

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

''हरियाली मिशन''

प्रपत्र-02/04 (2013-14)

कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) योजना
भुगतान हेतु आवेदन–पत्र एवं स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी :– ....

वन प्रमंडल :– ....

कार्यालय उपयोग हेतु
किसान विशिष्ट पहचान संख्या –
HAR/ --------------/---------------/-----------------/---------------------/-----------------/
योजना जिला प्रखंड क्र0 सं0 वर्ष

<u>किसान हेतु</u>

महाशय,

मैं .... पिता/पति .... वन प्रमंडल .... वन क्षेत्र ....जिला .... मेरे द्वारा कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) योजनातंर्गत पॉप्लर के पौधों का रोपण किया गया है। मेरे द्वारा कुल .... पॉप्लर ई0 टी0 पी0 प्राप्त किये गए। जिसमें प्रथम किस्त हेतु कुल............................ पौधें स्वस्थ एवं जीवित पाये गये हैं। अतः मुझे प्रथम किस्त देने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

(किसान का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम या
बायें हाथ के अंगूठे का निशान)

....

<u>कार्यालय द्वारा जाँच–पत्र</u>

उपर्युक्त दिये गये किसान द्वारा प्रथम किस्त भुगतान हेतु आवेदन–पत्र के आधार पर मेरे द्वारा नाम .... पदनाम .... जाँच किया गया, जाँच में इनकी पॉप्लर ई0 टी0 पी0 में कुल .... पॉप्लर ई0 टी0 पी0 स्वस्थ्य एवं उच्च गुणवत्ता वाले पौधे पाये गये।

विश्वासभाजन

(जाँचकर्त्ता का हस्ताक्षर)
नाम –
पदनाम –
दिनांक –

....

वन प्रमंडल पदाधिकारी हेतु

उपर्युक्त जाँच में पाया गया की किसान द्वारा स्थापित किये गये कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) में स्वस्थ्य एवं उच्च गुणवत्ता वाले .... पौधें पाये गये जो .... रुपये प्रति पौधें की दर से कुल .... रुपये का भुगतान ड्राफ्ट नं0– .... दिनांक – .... को निर्गत किया जा रहा है।

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर
या अंगूठे का निशान

वन प्रमंडल पदाधिकारी
प्रमंडल – ....
जिला – ....

किसानों के लिए तकनीकि जानकारी
(पॉप्लर पौधा/ई0टी0पी0)

1. श्रोत : पौधा (पॉप्लर पौधा/ई0टी0पी0)
(वर्ण विहीन अवस्था 10 फुट से लम्बा)

2. रोपण का समय : दिसम्बर–जनवरी

3. सामग्री : औजार –औगर (8इंच व्यास), रस्सी नापने का फिता, कुदाल।
दीमकनाशक – थीमेट (8–10 दाने प्रति गड्ढ़ा)।

4. जमीन का चुनाव : ऊँची जमीन जहाँ पानी नहीं लगता है।

5. जमीन की तैयारी : गड्ढ़े की चौड़ाई 8–9 इंच और उसकी गहराई न्यूनतम 3 फूट होनी चाहिए।

6. उपचार : 8–10 दाने थीमेट प्रति गड्ढ़ा डाले।

7. रोपण : पौधे को गड्ढ़े में डालकर अच्छी तरह से मिट्टी भर कर दबा दें।

8. सिंचाई : रोपण के तुरंत बाद एक बाल्टी पानी से सिंचाई करें। मानसून के पहले महीने में 2 से 3 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। और मानसून के बाद महीने में 1 बार।

9. शाखा छँटाई : (क) पहले वर्ष में जमीन की सतह से निकले हुए शाखाओं को छाँट दें।
(ख) दूसरे एवं तीसरे वर्ष में जमीन से ऊँचाई का 1/3 भाग की छटाई।
(ग) चौथे–पाँचवें वर्ष तक नीचे से 1/2 भाग की छटाई कर लें।
(घ) छठे वर्श में नीचे से 2/3 भाग की छटाई कर लें।

नोट : छटाई के लिए प्रहार नीचे से ऊपर की तरफ बिल्कुल मुख्य शाखा से सटा कर करें एवं इसके लिए तेज धार वाले हथियार का इस्तेमाल करें।

10. अभियुक्ति : सिंचाई के लिए पॉप्लर की पंक्ति के साथ–साथ नाली बना लें। ताकि पानी की खपत ज्यादा नही हो।

11. खाद : अलग से किसी भी प्रकार की खाद की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कृषि वानिकी के अंर्तगत इसकी आवश्कता स्वतः पूरी हो जानी है।

12. आकार एवं प्रकार : 6 से 7 वर्श होने पर एक वृक्ष 50–60 फीट की ऊँचाई एवं 3.5 – 4 फीट की गोलाई प्राप्त कर लेता है।

13. पौधों की पत्तियाँ नवम्बर में झड़नी प्रारंभ हो जाती है। और मार्च के अंतिम हफ्ते से आनी भ्तारू होती है। एवं अप्रैल तक पूरी तरह आ जाती है।

ध्यान देने योग्य बातें :– पौधे की छाल को नुकसान नहीं होना चाहिए। शाखाओं के रहने से मुख्य तने में गांठ पर सकती है।

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना।

हरियाली मिशन

कार्यान्वयन अनुदेश -2013-2014

योजना का नाम :– कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति के लिए) योजना।

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

"हरियाली मिशन"

कार्यान्वयन अनुदेश -2013-2014

1. **योजना का नाम :– कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति के लिए) योजना।**

2. **योजना क्रमांक :– 06**

3. **उद्देश्य :–**

- किसानों के खेतों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।
- ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- राज्य के किसानों की आर्थिक सुदृढ़ीकरण।
- हरियाली बढ़ाना एवं पर्यावरण शुद्धिकरण।
- बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 15% वृक्ष आवरण के अंतर्गत लाना।
- वनोत्पाद आधारित उद्योगों को कच्चे माल उपलब्ध कराकर औद्योगिकरण को बढ़ावा देना।

4. **शीर्ष/बजट शीर्ष** :– व्यय मुख्य शीर्ष–2406 वानिकी तथा वन्यप्राणी, उपमुख्य शीर्ष–01–वानिकी, लघु शीर्ष–800 अन्य व्यय मांग संख्या 19 उप शीर्ष–0105–पथ तट फार्म विपत्र कोड– पी0 2406018000105 विषय शीर्ष–020–मजदूरी, 2701–लघुकार्य एवं मुख्य शीर्ष–2406 वानिकी तथा वन्यप्राणी, उपमुख्य शीर्ष–01–वानिकी लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना मांग संख्या–19 उप शीर्ष–0103–पथ तट फार्म, विपत्र कोड– पी0–2406017890103, विषय शीर्ष–0201–मजदूरी ।

5. **रोड मैप के अनुसार भौतिक लक्ष्य** :– कृषि वानिकी योजनान्तर्गत आगामी पाँच वर्षों में कुल 239.1 लाख पौधारोपण का लक्ष्य पुरे राज्य में रखा गया है।

(* आंकड़ा लाख में)

		A	B	C	D	E	
क्र0 सं0	वर्ष/लक्ष्य	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	कुल
1	अन्य प्रजाति के पौधे	20.1	60	50.5	44.5	64	**239.1**

6. **आवंटन/लक्ष्य :–** कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति के लिए) योजना का लक्ष्य एवं आवंटन प्रपत्र संख्या–02/06 में प्रमंडलवार संलग्न हैं।

7. **पौधा रोपण हेतु किसानों के चयन की प्रक्रिया :–**

7.1 आवेदन के साथ संलग्न कागजात :– वन प्रमंडल पदाधिकारी/क्षेत्रीय वन पदाधिकारी के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है, एवं इसके साथ निम्न कागजात संलग्न करना आवश्यक होगा :–

- भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र/ अद्यतन लगान रसीद की छायाप्रति/राजस्व रसीद/शपथ पत्र–प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र।
- बैंक पासबुक की अद्यतन छायाप्रति।

7.2 पौधा रोपण हेतु कृषकों का चयन :–

- समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर अन्य प्रजाति के पौधा रोपण हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जायेगा। पौधा रोपण हेतु लाभार्थी कृषकों की अपनी निजी जमीन/लीज पर जमीन होनी चाहिए।
- लाभार्थी कृषकों का चयन, वन प्रमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जायेगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को नियमानुसार प्राथमिकता दी जायेगी।
- वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा लाभार्थी कृषकों की सूची मिशन निदेशक, हरियाली मिशन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7.3 आवेदन समर्पित कहाँ करें :–

- आवेदन तथा उससे संबंधित कागजात उस जिले के वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किये जायेंगे, जिस जिले में कृषक की जमीन हों।

7.4 चयन समिति :–

- जिला स्तर पर वन प्रमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति कृषकों का चयन करेगी। इसके सदस्य संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी तथा जिला वागवानी पदाधिकारी होंगे।

7.5 चयन की प्रक्रिया :–

- चयन समिति कंडिका–7.1 में उल्लेखित कागजातों की जाँच करेंगे, एवं लाभुकों का चयन करेगी तथा सूची बनायेंगे (प्रपत्र–1)।
- उन कृषक बंधुओं को वरीयता दी जायेगी, जो दो हेक्टेयर से अधिक भूमि में ब्लॉक वृक्षारोपण के इच्छुक होंगे। बड़े क्षेत्रों में अन्य प्रजाति के पौधा रोपण हेतु लाभुकों को वरीयता दी जायेगी।
- एक से अधिक कृषक बंधु मिलकर भी इस योजना में भाग ले सकेंगे।
- अगर आवंटित लक्ष्य से अधिक व्यक्तियों का आवेदन पौधा रोपण की स्थापना के लिए प्राप्त होता है तो **"पहले आओ, पहले पाओ"** के आधार पर चयन किया जायेगा।
- रैखिक वृक्षा रोपण के लिए अधिक वृक्षों को लगाने वाले कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

  अन्य प्रजाति के पौधा रोपण के लिए समिति द्वारा कृषकों के चयन के उपरांत वन विभाग द्वारा पौधा रोपण के लिए प्रशिक्षण चयनित लाभुकों के लिए आयोजित की जायेगी, जिसमें उन्हें भाग लेना अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

8. प्रशिक्षण :–

- राज्य स्तर पर हरियाली मिशन द्वारा एक दिवसीय ओरियेन्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे, जिसमें मुख्य वन संरक्षक पदाधिकारी, वन संरक्षक पदाधिकारी तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी शामिल होंगे। इसमें कृषि वानिकी, पौधा रोपण से संबंधित तकनीकी एवं प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।
- वन प्रमंडल स्तर पर मास्टर ट्रेनर को हरियाली मिशन मुख्यालय में कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति के लिए) से संबंधित तकनीकी एवं प्रशासनिक जानकारी दी जायेगी।
- जिला स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा किसानों को एक दिवसीय प्रशिक्षण पौधा रोपण, रख–रखाव, उपचार, पौधों का संपोषण संबंधित जानकारी दी जायेगी।
- वनपाल एवं वनरक्षी को विस्तृत रूप से प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसमें पौधा रोपण, रख–रखाव, तैयारी एवं उपचार करना सम्मिलित होगा।

- अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- पौधा रोपण हेतु किसानों का चयन एवं प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। सभी चयनित किसानों का प्रशिक्षण आयोजित होगा, जो रोपण विधि, मॉडल एवं कृषि के साथ सामंजस्य करने के तरीकों से संबंधित होगा।

8.1 **कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति के लिए) कार्य विवरण :–**

- कृषक बंधुओं के द्वारा कृषि वानिकी रोपण संबंधी सभी कार्य जैसे– गडढ़ा खुदाई, सुरक्षा घेरा बनाना, पौधा रोपण, कोरनी–निकौनी एवं सिंचाई आदि कार्य संपादित किया जायेगा।

9. स्रोत/उत्पादन :–

9.1 मुख्यमंत्री निजी पौधशालाओं से गुणवत्ता युक्त पौधों की प्राप्ति :–

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला में लगाये हुए अन्य प्रजाति के पौधों का क्रय किया जायेगा। तदोपरांत इसकी मांग तथा उपलब्धता के अनुसार इसके वितरण का निर्णय वन प्रमंडल पदाधिकारी/मिशन निदेशक, हरियाली मिशन लेंगे।

दूसरी स्थिति में हरियाली मिशन मुख्यालय से पौधा वन प्रमंडल पदाधिकारी को मुहैया कराया जायेगा। जिसका वितरण आवश्यकतानुसार लक्षित जिलों में किया जायेगा। इसके लिए राज्य के कृषि विश्वविद्यालय, ICFRE, ICAR तथा राज्य के विभागीय पौधशाला से उच्च कोटि के गुणवत्ता युक्त पौधें प्राप्त किए जायेगें।

9.2 प्रजातियों का चयन :–

(क) इस योजना के तहत उत्तर बिहार के जिलों के लिए वंसत वृक्षारोपण हेतु पॉप्लर, गम्हार, कदम्ब, सेमल, अर्जुन, सागवान, शीशम, जामुन, करंज आदि प्रजातियों को कृषि भूमि पर इच्छुक किसानों को वितरित किया जायेगा। इसके अलावा वर्षा वृक्षारोपण हेतु भी शीशम, गम्हार, सागवान, महोगनी, नीम, करंज, यूकेलिप्टस, आम, लीची, अमरूद, बबूल, बाँस, सुपारी आदि प्रजातियों को वितरित किया जायेगा।

(ख) दक्षिण बिहार के जिलों में वर्षा वृक्षारोपण हेतु किसानों के मध्य सिरिस, सेमल, आंवला, कटहल, महुआ, बाँस, शीशम, गम्हार, सागवान, महोगनी, नीम, करंज, यूकेलिप्टस, जामुन, आम, लीची, अमरूद आदि को वितरित किया जायेगा। दक्षिण बिहार में वसंत वृक्षारोपण नहीं किया जायेगा।

10. कृषकों को देय लाभ :– अन्य प्रजाति के पौधा रोपण हेतु कृषकों को देय राशि का भुगतान निम्नवत 03 किस्तों में करने का प्रावधान किया जायेगा।

- कृषक बंधुओं को 50 प्रतिशत से अधिक उत्तरजीविता ★होने पर ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा। (★उत्तरजीविता – निर्धारित मापदंड के अनुसार)
- कृषक बंधुओं के द्वारा उनकी भूमि पर किये गये वृक्षारोपण के उत्तरजीविता प्रतिशत के दावे के आधार पर प्रथम वर्ष में प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा। प्रथम वर्ष के अंत में देय राशि रुपये 15/– प्रति पौधा होगी।
- पौधा रोपण के उपरांत दो वर्ष के पौधे होने पर रुपये 10/– प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा।
- पौधा रोपण के उपरांत तीन वर्ष के पौधे होने पर रुपये 10/–प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा।
- प्रोत्साहन राशि का भुगतान शिविर लगाकर उनके खाते के माध्यम से किया जायेगा।

यदि विभाग द्वारा उत्तरजीविता प्रतिशत की गणना/जाँच में कृषकों द्वारा प्रथम वर्ष में किये गये दावे से कम उत्तरजीविता प्रतिशत पाया गया तो द्वितीय वर्ष के प्रोत्साहन राशि से तद्नुसार कटौती/वसूली की जायेगी।

<u>नोट :–</u> यदि प्रथम से द्वितीय किस्त के रूप में द्वितीय पक्ष को अतिरेक राशि का भुगतान हो गया होगा तो अंतिम किस्त की राशि भुगतान करते समय पूर्व में भुगतेय ऐसी राशि का समायोजन करने के पश्चात् ही अंतिम भुगतान किया जायेगा।

11. वन विभाग के पदाधिकारियों/अधिकारियों/कर्मियों का कर्त्तव्य एवं दायित्व :– हरियाली मिशन मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल, वनरक्षी अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत इस योजना के लिए पूर्णरूपेण जिम्मेदार होंगे। संबंधित पदाधिकारी इस योजना का प्लान एवं लक्ष्य के आधार पर पौधे प्राप्त करना, लाभुकों का चयन करना, सामग्री, मजदूर, कृषकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त का भुगतान एवं इस योजना से संबंधित अन्य कार्य निर्धारित समय–सीमा के अनुरूप करवाना सुनिश्चित करेंगे।

11.1 वन संरक्षक :–

- कृषकों का चयन समय पर कराने हेतु चयन समिति की बैठक करवाना।
- नर्सरी से पौधों को समय रहते वन प्रमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध करवाना।
- पौधा रोपन के बाद औचक निरीक्षण करना।
- विवाद को सुलझाना/मुख्यालय को सूचित करना।
- हरियाली मिशन मुख्यालय द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन करवाना एवं उसकी समय–समय पर कार्य प्रगति का विवरण मुख्यालय को उपलब्ध करवाना।

11.2 वन प्रमंडल पदाधिकारी :–

- वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा निजि पौधशाला अथवा विभागीय पौधशाला से पौधा प्राप्त कर सुरक्षित वन क्षेत्र कार्यालय तक पहुंचवाना।
- आवेदन–फार्म का जमा करवाना एवं किसानों को चयन करने हेतु वन संरक्षक को सूची उपलब्ध कराना।
- प्रशिक्षण के लिए तिथि एवं परिसर का इंतजाम करवाना।
- प्रोत्साहन राशि का चेक/ड्राफ्ट वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को उपलब्ध करवाना।
- वितरित चेक/ड्राफ्ट और अवितरित चेक/ड्राफ्ट का विवरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना।
- रेडम चेकिंग करना।

11.3 वनों के क्षेत्र पदाधिकारी :–

- संलग्न कागजात की जाँच करना।
- समय पर किसानों को पौधारोपण के लिए पौधा वितरित करना।
- प्रोत्साहन राशि लाभुकों/किसानों को वितरण करना।
- वितरित चेक और अवितरित चेक का विवरण वन प्रमंडल पदाधिकारी को देना।
- किसानों को जिला स्तर पर प्रशिक्षण करवाना।
- किसी भी प्रकार का विवाद होने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचित करना।

11.4 वनपाल/वनरक्षी :–

- जीवित पौधों की गणना कर वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को सूचित करना।
- कृषि वानिकी स्थापना की सुरक्षा में सहायता करवाना।
- वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के साथ पौधों का वितरण करना।
- जमीन के खतिहान/खेसरा/रसीद की जाँच में मदद करना।
- किसी भी प्रकार के पौधारोपण तथा स्थापना में दिक्कत आने पर क्षेत्र पदाधिकारी को सूचित करना।

12. लक्षित जिला :–

- बिहार के सभी जिले शामिल हैं।

13. **मैप :–**

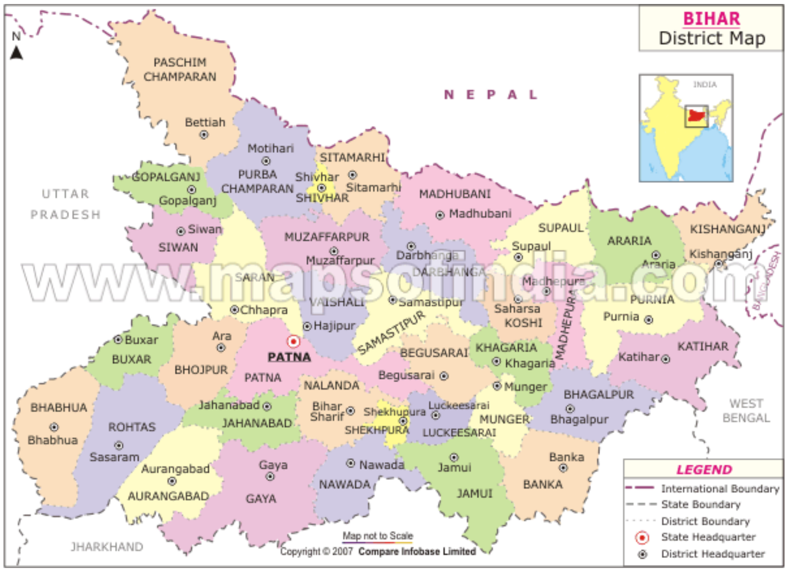

14. **फ्लो चार्ट :–**

वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के द्वारा आवेदन की प्राप्ति

⇩

लाभार्थी कृषकों की सूची तैयार करना।

⇩

सूची के अनुसार जमीन का भौतिक सत्यापन।

⇩

अंतिम सूची की तैयारी वन प्रमंडल पदाधिकारी को समर्पित करना।

समिति द्वारा लाभुकों का चयन करना।

⇩

वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा सूची के आधार पर स्वीकृत्यादेश निर्गत करना।

⇩

लाभुकों द्वारा गडढ़ों की खुदाई करना।

⇩

पौधारोपण के लिए पौधों की आपूर्त्ति

⇩

लगाये गये पौधों का सत्यापन।

⇩

रैंडम चेकिंग।

⇩

सहायतानुदान राशि का चेक वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को उपलब्ध करना।

⇩

वन प्रमंडल परिसर में शिविर लगाकर चेकों/ड्राफ्टों का वितरण।

15. **प्री ऑडिट चेक लिस्ट :—**

- वन प्रमंडल पदाधिकारी/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा लाभुकों की सत्यापित सूची तैयार करना।
- स्वीकृत्यादेश की प्रति।
- कार्य निष्पादित क्षेत्र का फोटो शपथ—पत्र।
- व्यय विवरणी।
- स्वीकृत्यादेश में स्वीकृत रकवे के अनुरूप सत्यापन एल0 पी0 सी0/लीज कागजात/किराया रसीद/राजस्व रसीद/शपथ पत्र—प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र।
- राशि का भुगतान की प्रति।

16. **अन्य :—**

- राज्य स्तर पर विभिन्न वन प्रमंडलों के अनुश्रवण का दायित्व निम्नलिखित पदाधिकारियों को निम्न प्रकार है :—

क्र0	पदाधिकारियों का नाम	पदनाम
1.	श्री दीपक कुमार	परियोजना प्रबंधन पदाधिकारी
2.	श्री चाँद रहमानी	प्रोग्राम मैनेजर, वित्तीय
3.	श्री नवल किशोर राजू	प्रोग्राम मैनेजर, ग्रामीण
4.	श्री अरविन्द कुमार	प्रोग्राम मैनेजर, वानिकी
5.	श्री संजीव रंजन	तकनीकी पदाधिकारी, वानिकी
6.	श्री राजीव कुमार	तकनीकी पदाधिकारी, वानिकी
7.	श्री विपिन कुमार	तकनीकी पदाधिकारी, कृषि वानिकी
8.	श्री निखिल रंजन कुमार	सांख्यिकी पदाधिकारी

- ये पदाधिकारी आवश्यकतानुसार वन प्रमंडल कार्यालय से दूरभाष पर संपर्क करेंगे एवं प्रगति की जानकारी हरियाली मिशन निदेशक को देंगे। इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी, हरियाली मिशन निदेशक—सह—मुख्य वन संरक्षक, हरियाली मिशन बिहार होंगे।

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
"हरियाली मिशन"
प्रपत्र–06/01

योजना :– कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति के लिए) योजना

फोटो

आवेदन

कार्यालय उपयोग हेतु

किसान विशिष्ट पहचान संख्या –

HAR/ -------------/---------------/----------------/-------------------/----------------/
योजना जिला प्रखंड क्र0 सं0 वर्ष

आवेदक का नाम

पिता/पति का नाम

पता

वन प्रमंडल का नाम

वन क्षेत्र का नाम

प्रखंड का नाम

जिला का नाम

पिन नं0

मोबाईल नं0

लिंग–पुरूष/महिला

कोटि– अनुसूचित जनजाति ☐ अनुसूचित जाति ☐ पिछड़ा वर्ग महिला ☐ अत्यंत पिछड़ा वर्ग ☐
पिछड़ा वर्ग ☐ विकलांग ☐ अल्पसंख्यक ☐ सामान्य ☐

धर्म– हिन्दू ☐ मुस्लिम ☐ सिख ☐ ईसाई ☐
अन्य ☐

पौधशाला स्थल की विवरणी :–

क्र0	जमीन मालिक का नाम/जमीन का पता	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा (एकड़ में)

सिंचाई की सुविधा – राजकीय नहर ☐ नलकूप ☐ निजी पंपिंग सेट ☐ अन्य ☐

प्रमाण के रूप में पासबुक की छायाप्रति संलग्न करें

घोषणा

मैं एतद् घोषणा करता /करती हूँ कि इस आवेदन में ऊपर दी गयी सूचनाएं सत्य एवं सही हैं। पौधे आवंटित होने पर मैं पूरी मेहनत एवं लगन से पौधारोपण करूगाँ/करूँगी एवं मिशन/वन विभाग के सभी नियमों/निर्देशों का अनुपालन करूगाँ/करूँगी। ऊपर में दी गयी सभी जानकारी/कालान्तर में उक्त सूचना गलत सिद्ध होती है तो इसके लिए मैं जिम्मेवार होऊगाँ/होऊँगी और मैं मानता/मानती हूँ कि मेरे विरूद्ध वैधानिक/दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन एवं आवंटन को रद्द किया जा सकेगा। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विभाग के सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हूँ।

स्थान :– ....

दिनांक :– .... **आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम**

नोट :– आवेदन–पत्र के साथ सभी प्रमाण–पत्रों/कागजातों की केवल छायाप्रति संलग्न करें :–
(1) एल0 पी0 सी0/प्रस्तावित जमीन का अद्यतन रसीद/ लीज पर लिया गया जमीन की छायाप्रति/राजस्व रसीद/शपथ पत्र–प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र।
(2) पासबुक की अद्यतन छायाप्रति।

प्राप्ति रसीद

श्रीमान्/श्रीमती .... पिता/पति का नाम ....

वन प्रमंडल का नाम .... वन क्षेत्र का नाम .... प्रखंड का नाम ....

जिला का नाम .... पिन कोड– ....। कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति के लिए) स्थापित करने हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त किया गया, जिसकी आवेदन पत्र क्रमांक .... है।

स्थान :– ....

दिनांक :– .... **प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर पूरा नाम एवं पदनाम।**

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

"हरियाली मिशन"

प्रपत्र-06/02 (2013-14)

योजना का नाम :– कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति के लिए) योजना

वन प्रमंडल पदाधिकारी, कार्यालय

प्रमंडल का नाम :– .... **जिला का नाम :– ....**

क्र	प्रखंड का नाम	वन क्षेत्र	पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम (टोला)	किसान का नाम एवं पिता का नाम	खेत का रकवा (एकड़ में)	खाता	खेसरा	पौधों की संख्या	मोबाईल नं0	जाति	धर्म
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1												
2												
3												
4												
5												

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
"हरियाली मिशन"

आदेश

कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति के लिए) योजना

प्रपत्र-06/03 (2013-14)

प्रेषक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
वन प्रमंडल ....

सेवा में,

....

....

विषय :– **कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति के लिए) ससमय रोपण कार्य न करने एवं शर्त्तो का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश रद्द करने के संबंध में।**

दिनांक :–

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपको पत्रांक–.................................. दिनांक – .... के द्वारा सूचित किया गया था कि आप ससमय वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अपना आवंटित पौधा प्राप्त कर लें। पौधा ससमय प्राप्त न करने और शर्त्तो का अनुपालन नहीं करने के कारण इस कार्यालय द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश रद्द किया जाता है।

स्वीकृत्यादेश
वन प्रमंडल पदाधिकारी
.... वन प्रमंडल

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

"हरियाली मिशन"

प्रपत्र-06/04 (2013-14)

कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति के लिए) योजना
भुगतान हेतु आवेदन–पत्र एवं स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी :– ....

वन प्रमंडल :– ....

कार्यालय उपयोग हेतु
किसान विशिष्ट पहचान संख्या –
HAR/ --------------/---------------/-----------------/--------------------/----------------/
योजना जिला प्रखंड क्र0 सं0 वर्ष

किसान हेतु

महाशय,

मैं .... पिता/पति .... वन प्रमंडल .... वन क्षेत्र ....जिला .... मेरे द्वारा कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति के लिए) योजनातंर्गत पौधों का रोपण किया गया है। मेरे द्वारा कुल .... पौधें प्राप्त किये गए। जिसमें प्रथम किस्त हेतु कुल.......................... पौधें स्वस्थ, जीवित एवं निर्धारित मापदंड के अनुसार पाये गये हैं। अतः मुझे प्रथम किस्त देने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

(किसान का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम या बायें हाथ के अंगूठे का निशान)

....

कार्यालय द्वारा जाँच–पत्र

उपर्युक्त दिये गये किसान द्वारा प्रथम किस्त भुगतान हेतु आवेदन–पत्र के आधार पर मेरे द्वारा नाम .... पदनाम .... जाँच किया गया, जाँच में इनकी पौधों की कुल .... पौधे स्वस्थ्य, जीवित एवं निर्धारित मापदंड के अनुसार एवं उच्च गुणवत्ता वाले पौधे पाये गये।

विश्वासभाजन

(जाँचकर्त्ता का हस्ताक्षर)

नाम –
पदनाम –
दिनांक –

....

वन प्रमंडल पदाधिकारी हेतु

उपर्युक्त जाँच में पाया गया की किसान द्वारा स्थापित किये गये कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति के लिए) में स्वस्थ्य एवं उच्च गुणवत्ता वाले .... पौधें पाये गये जो .... रुपये प्रति पौधें की दर से कुल .... रुपये का भुगतान ड्राफ्ट नं0– .... दिनांक – .... को निर्गत किया जा रहा है।

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर :–
या अंगूठे का निशान

वन प्रमंडल पदाधिकारी
प्रमंडल – ....
जिला – ....

किसानों के लिए तकनीकि जानकारी
(पॉप्लर पौधा/ई0टी0पी0)

1. श्रोत	:	पौधा (पॉप्लर पौधा/ई0टी0पी0) (वर्ण विहीन अवस्था 10 फुट से लम्बा)
2. रोपण का समय	:	दिसम्बर–जनवरी
3. सामग्री	:	औजार –औगर (8इंच व्यास), रस्सी नापने का फिता, कुदाल। दीमकनाशक – थीमेट (8–10 दाने प्रति गड्ढ़ा)।
4. जमीन का चुनाव	:	ऊँची जमीन जहाँ पानी नहीं लगता है।
5. जमीन की तैयारी	:	गड्ढ़े की चौड़ाई 8–9 इंच और उसकी गहराई न्यूनतम 3 फूट होनी चाहिए।
6. उपचार	:	8–10 दाने थीमेट प्रति गड्ढ़ा डाले।
7. रोपण	:	पौधे को गड्ढ़े में डालकर अच्छी तरह से मिट्टी भर कर दबा दें।
8. सिंचाई	:	रोपण के तुरंत बाद एक बाल्टी पानी से सिंचाई करें। मानसून के पहले महीने में 2 से 3 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। और मानसून के बाद महीने में 1 बार।
9. शाखा छँटाई	:	(क) पहले वर्ष में जमीन की सतह से निकले हुए शाखाओं को छाँट दें। (ख) दूसरे एवं तीसरे वर्ष में जमीन से ऊँचाई का 1/3 भाग की छटाई। (ग) चौथे–पाँचवें वर्ष तक नीचे से 1/2 भाग की छटाई कर लें। (घ) छठे वर्श में नीचे से 2/3 भाग की छटाई कर लें।

नोट : छटाई के लिए प्रहार नीचे से ऊपर की तरफ बिल्कुल मुख्य शाखा से सटा कर करें एवं इसके लिए तेज धार वाले हथियार का इस्तेमाल करें।

10. अभियुक्ति	:	सिंचाई के लिए पॉप्लर की पंक्ति के साथ–साथ नाली बना लें। ताकि पानी की खपत ज्यादा नही हो।
11. खाद	:	अलग से किसी भी प्रकार की खाद की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कृषि वानिकी के अंर्तगत इसकी आवश्कता स्वत: पूरी हो जानी है।
12. आकार एवं प्रकार	:	6 से 7 वर्श होने पर एक वृक्ष 50–60 फीट की ऊँचाई एवं 3.5 – 4 फीट की गोलाई प्राप्त कर लेता है।

13. पौधों की पत्तियाँ नवम्बर में झड़नी प्रारंभ हो जाती है। और मार्च के अंतिम हफ्ते से आनी भारू होती है। एवं अप्रैल तक पूरी तरह आ जाती है।

ध्यान देने योग्य बातें :– पौधे की छाल को नुकसान नहीं होना चाहिए। शाखाओं के रहने से मुख्य तने में गांठ पर सकती है।